(4)

कार्यालय- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमीरपुर

पत्रांक:एस०एस०ए०/आ० ब्रिजकोर्स/2967-77 /2008-09 दिनांक 22 दिसम्बर,2008

सेवा में,

....अध्यक्ष/सचिव

...जनकल्याण..परिषद उ०प्र० किदवईनगर

............कानपुर.

विषय: वैकल्पिक शिक्षा योजनान्तर्गत 09 माह के आवासीय ब्रिजकोर्स संचालन के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप को अवगत कराना है कि निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक:सा०एवंवै०शि०/29285-587/2008-09 दिनांक 25 अगस्त,2008 के अनुपालन में जनपद में संचालित होने वाले आवासीय ब्रिज कोर्स हेतु आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, हमीरपुर की स्वीकृतोपरान्त निम्न लिखित विकास खण्ड में बालक/बालिका हेतु आवासीय ब्रिजकोर्स संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

विकास खण्ड का नाम सरीला बालक/~~बालिका~~ हेतु । सरीला बालक हेतु

अत: आप को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विकास खण्ड में 11-14 वय वर्ग के बच्चों को उपलब्ध सूची के अनुसार पंजीकृत करा कर आवासीय ब्रिजकोर्स का संचालन सुनिश्चित करें । जिनकी शर्तें निम्नवत् हैं:-

§1§ सर्व शिक्षा अभियान की मार्गदर्शिका के परिशिष्ट के अनुसार रु0 100/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र ।

§2§ नियम और शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर सहित परिशिष्ट 09 पर ।

§3§ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कराने के प्राधिकार के प्रस्ताव की प्रतिलिपि अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित परिशिष्ट 03 पर । अनुबन्ध पत्र के साथ निम्न लिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

§4§ अनुबन्ध पत्र के साथ निम्न लिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

§क§ कार्य योजना एवं एक्शन प्लान एवं समय सारिणी ।

§ख§ कार्य योजना को क्रियान्वयन करने की रणनीति ।

§ग§ विद्यालय शिक्षा एवं वंचित अभिभावकों के सहमत पत्र ।

§घ§ कार्य करने वाले अनुदेशकों एवं कर्मचारियों के नाम, पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता सहित सूची ।

§5§ केन्द्र संचालन हेतु धनराशि नियमानुसार तीन किश्तों में दी जायेगी ।

§6§ आवासीय ब्रिज कोर्स शिविर के बच्चों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व संस्था का होगा ।

§7§ आवासीय ब्रिजकोर्स संचालन हेतु केन्द्र का पता, भवन का मानचित्र सहित भवन स्वामी के सहमति पत्र के साथ प्रतिलिपि उपलब्ध करायें ।

§8§ भवन में 60 बच्चों की कक्षा-कक्ष, बेडरूम, शौचालय, रसोई, बिजली पानी व प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो ।

§9§ केन्द्र पर 11-14 वयवर्ग के शिक्षा से वंचित बच्चे ही नामांकित होंगे जिसकी सूची अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र के साथ संलग्न करते हुये उपलब्ध करायी जा रही है ।

§क्रमश. पृ...2..पर§

§10§ बालिकाओं हेतु आवासीय ब्रिजकोर्स में अनुदेशक, केयर टेकर, रसोईया महिला होना अनिवार्य है एवं चौकीदार की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी ।
§11§ केन्द्र पर पंजीकृत बच्चों में से निरीक्षण के समय उपस्थित कम पायी जाने पर उसी अनुपात में धनराशि की कटौती की जायेगी ।
§12§ बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करने हेतु एक चिकित्सक की व्यवस्था संस्था को करनी होगी ।
§13§ चाय, नाश्ता, लन्च एवं डिनर की व्यवस्था समय से एवं मीनू के अनुसार पौष्टिक एवं साफ-सुथरा उपलब्ध कराया जाय ।
§14§ बच्चों को सम्पूर्ण पठन सामग्री मार्ग निर्देशिका के अनुसार उपलब्ध करायी जाय ।
§15§ बच्चों की व्यक्तिगत प्रगति आख्या मासिक उपलब्ध करानी होगी ।
§16§ 08 माह के आवासीय ब्रिजकोर्स संचालन के पश्चात सभी बच्चों को 09 माह में विद्यालय में पंजीकृत कराकर अध्ययन कराया जायेगा । जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी ।

§एम0के0अहिरवार§
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हमीरपुर ।

पृ0सं0:एस0एस0ए0/आ0ब्रिजकोर्स संचा0/2967-77 /08-09 दिनांक तद् ।
प्रतिलिपि: निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
§1§ राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना, परिषद विद्या भवन निशातगंज, लखनऊ ।
§2§ निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0, नवी उल्लाह रोड, लखनऊ ।
§3§ जिलाधिकारी, हमीरपुर ।
§4§ मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर ।
§5§ प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सुमेरपुर ।
§6§ मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक §बेसिक§ झाँसी ।
§7§ सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, हमीरपुर ।
§8§ उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमीरपुर ।
§9§ संबंधित विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद- हमीरपुर ।
§10§ संबंधित विकास खण्ड के बी0आर0सी0 समन्वयक, जनपद- हमीरपुर ।

§एम0के0अहिरवार§
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हमीरपुर ।